न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2016

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 53/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–रामलाल आत्मज देवजी ब्राह्मण निवासी रेवाडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–धर्मचन्द आत्मज धुलजी ब्राह्मण निवासी रेवाडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–रामलाल आत्मज मांगीलाल ब्राह्मण निवासी रेवाडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–भैरूलाल आत्मज हरलाल ब्राह्मण निवासी रेवाडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–चम्पालाल आत्मज मांगीलाल ब्राह्मण निवासी रेवाडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–हीरा आत्मज नानु ब्राह्मण निवासी रेवाडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–पन्ना आत्मज नानु ब्राह्मण निवासी रेवाडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–लक्ष्मण आत्मज नानु ब्राह्मण निवासी रेवाडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8–लादूलाल आत्मज हजारी जाति चमार निवासी रेवाडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

महेन्द्र सिंह चुण्डावत — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 08.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट आशाहोली मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रेवाडा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 183/2 रकबा 0.19 है0, भूमि स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2076 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नही होने प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, मवेशी वगैरा चराने, घास आदि काटने में दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थी को उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षी संख्या एक लगायत आठ प्रार्थी की उक्त आराजी के चारों तरफ के पडौसी होने से उन्हें पक्षकार बनाये गये हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जबाव देते रहे। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 02.05.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये। जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 02.05.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा –राजस्थान
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018
मुकदमा नम्बरः– 53/2018 प्रार्थनापत्र
रामलाल ब्राह्मण बनाम धर्मचन्द ब्राह्मण वगै0

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 28.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 01, 2, 7, 8 उपस्थित है जिन्होने कोई आपति जाहिर नही की है। विपक्षी संख्या 03 से 06 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम रेवाडा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 183/2 रकबा 0.19 है0, भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 100/– अक्षरे सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा